भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 431
(22 जुलाई, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

पीएमजीएसवाई के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों का निर्माण और उन्नयन

431. डॉ. शिवाजी बंडाप्पा कालगे:
श्री बाल्या मामा सुरेश गोपीनाथ म्हात्रे:
श्री संदिपनराव आसाराम भुमरे:
श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकर:
श्री ज्ञानेश्वर पाटील:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत देश में ग्रामीण सड़कों के निर्माण और उन्नयन की राज्य-वार वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या सभी लक्षित ग्रामीण बस्तियों को बारहमासी सड़क संपर्क उपलब्ध करा दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो महाराष्ट्र, दादरा और नागर हवेली, मध्य प्रदेश सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा ग्रामीण सड़कों के रखरखाव और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या इस संबंध में कोई दीर्घकालिक रखरखाव नीति लागू है; और

(च) यदि हां, तो दादरा और नागर हवेली तथा मध्य प्रदेश सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क): प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के सभी कार्यक्षेत्रों/घटकों के अंतर्गत प्रारंभ से लेकर दिनांक 11.07.2025 तक कुल 8,38,611 किलोमीटर सड़क लंबाई स्वीकृत की गई है और 7,82,945 किलोमीटर सड़क का निर्माण पूर्ण हो चुका है। पीएमजीएसवाई के विभिन्न कार्यक्षेत्रों/घटकों के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों के निर्माण और उन्नयन की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्थिति , प्रारंभ से लेकर आज तक (11.07.2025 तक), अनुबंध में दी गई है। राज्यवार और कार्यक्षेत्र/घटक-वार ब्यौरा कार्यक्रम की वेबसाइट www.omms.nic.in - > Progress Monitoring -> Monthly Progress Report (MPR) पर उपलब्ध हैं। पीएमजीएसवाई । (छत्तीसगढ़ में), पीएमजीएसवाई ॥, ॥। और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क संपर्कता परियोजना (आरसीपीएलडब्ल्यूईए) के तहत चल रहे कार्यों को पूरा करने की समय-सीमा मार्च 2026 है।

(ख) और (ग): पीएमजीएसवाई-। को वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार निर्धारित जनसंख्या आकार वाली पात्र संपर्कताविहीन बसावटों को बारहमासी सड़क के माध्यम से ग्रामीण संपर्कता प्रदान करने के लिए एकबारगी विशेष कार्यक्रम के रूप में शुरू किया गया था। इसकी शुरुआत से लेकर

दिनांक 11.07.2025 तक, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कुल 1,63,339 बसावटों को मंजूरी दी गई है और 1,62,818 बसावटों को संपर्कता प्रदान की गई है। इस प्रकार, 99.68% लक्षित बसावटों को बारहमासी सड़क संपर्कता प्रदान की जा चुकी है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्यों में पीएमजीएसवाई- । के अंतर्गत सड़क संपर्कता प्रदान की गई बसावटों का ब्यौरा इस प्रकार है:-

राज्य	**संपर्कता प्रदान किए जाने के लिए स्वीकृत बसावटें (संख्या में)**	**संपर्कता प्रदान की गई बसावटें (संख्या में)**
महाराष्ट्र	1,420	1,417
मध्य प्रदेश	17,522	17,522

उपरोक्त राज्यों के लिए पीएमजीएसवाई । के अंतर्गत कार्यों को पूरा करने की समय-सीमा मार्च, 2025 थी। संघ राज्य क्षेत्र दादरा और नगर हवेली से कोई पीएमजीएसवाई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा कार्यक्रम की वेबसाइट www.omms.nic.in -> Progress Monitoring -> Habitation Coverage under PMGSY पर देखा जा सकता है।
(घ) से (च): "ग्रामीण सड़कें" राज्य का विषय है और पीएमजीएसवाई के दिशानिर्देशों के अनुसार , इस कार्यक्रम के अंतर्गत निर्मित सड़कों का रखरखाव राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की ज़िम्मेदारी है। तथापि, मंत्रालय ने मध्य प्रदेश सहित सभी राज्यों में पीएमजीएसवाई के अंतर्गत निर्मित सड़कों का उचित रखरखाव सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम/उपाय उठाए हैं:

(i) मानक बोली दस्तावेज के अनुसार सभी पीएमजीएसवाई सड़क कार्यों का शुरूआती पंचवर्षीय रखरखाव भी उसी ठेकेदार के साथ की जाने वाली निर्माण की संविदा में शामिल होता है। चूंकि पीएमजीएसवाई सड़कों की जीवन अवधि दस वर्ष है , इसलिए राज्यों को अगले पांच साल तक रखरखाव करना होगा। पीएमजीएसवाई- III को कार्यान्वित करते समय राज्यों के साथ पांच वर्ष के रखरखाव के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। पीएमजीएसवाई- IV के तहत नई संपर्कता केवल उन्हीं राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दी जाएगी , जिन्होंने ग्रामीण सड़कों के इलेक्ट्रॉनिक रखरखाव (ई-मार्ग) प्लेटफॉर्म के माध्यम से यह प्रदर्शित किया है कि उनके राज्य में निर्मित पीएमजीएसवाई सड़कों का सड़क के निर्माण के 5 साल बाद नियमित रखरखाव किया गया है। ई-मार्ग के निर्माण के पांच वर्ष बाद के मॉड्यूल में प्रारंभिक सुधार , नवीनीकरण, नवीनीकरण-पूर्व नियमित रखरखाव, नवीनीकरण के बाद रखरखाव और आवश्यकतानुसार आपातकालीन मरम्मत कार्य शामिल हैं।

(ii) अनुबंध को पूरा करने के लिए रखरखाव निधि का बजटीय प्रावधान राज्य सरकारों द्वारा किया जाना अपेक्षित होता है और एक अलग रखरखाव खाते में राज्य ग्रामीण सड़क विकास एजेंसियों (एसआरआरडीए) के पास रखा जाता है। निर्माण के बाद के इस 5 वर्षीय रखरखाव की अवधि समाप्त होने पर, पीएमजीएसवाई सड़कों को क्षेत्रीय रखरखाव अनुबंधों के अंतर्गत रखा जाना आवश्यक है , जिसमें समय-समय पर रखरखाव चक्र के अनुसार नवीनीकरण सहित 5 वर्षीय रखरखाव शामिल होगा, जिसका वित्तपोषण राज्य सरकारों द्वारा किया जाएगा।

(iii) सभी राज्यों ने ग्रामीण विकास मंत्रालय की तकनीकी शाखा , राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी (एनआरआईडीए) द्वारा तैयार नीतिगत ढांचे के आधार पर अपनी ग्रामीण सड़क रखरखाव नीतियां तैयार की हैं।

(iv) कार्यक्रम के कार्यान्वयन को वांछित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप बनाने के लिए , पीएमजीएसवाई के तहत एक त्रिस्तरीय गुणवत्ता प्रबंधन तंत्र को संस्थागत रूप दिया गया है। इस तंत्र

का पहला स्तर कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई (पीआईयू) स्तर पर आंतरिक गुणवत्ता नियंत्रण है। इस स्तर का उद्देश्य क्षेत्र प्रयोगशाला में सामग्री के अनिवार्य परीक्षण और कारीगरी परीक्षण के माध्यम से प्रक्रिया नियंत्रण है। दूसरे स्तर को राज्य स्तर पर राज्य गुणवत्ता निगरानीकर्ताओं (एसक्यूएम) के माध्यम से निष्पक्ष गुणवत्ता निगरानी के रूप में संरचित किया गया है जिसमें बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कार्यों के नियमित निरीक्षण का प्रावधान किया गया है। तीसरे स्तर के तहत , स्वतंत्र राष्ट्रीय गुणवत्ता निगरानीकर्ता (एनक्यूएम) को एनआरआईडीए द्वारा यादृच्छिक नमूना आधार पर सड़क कार्यों के निरीक्षण के लिए तैनात किया जाता है ताकि न केवल निर्माण गुणवत्ता की निगरानी की जा सके बल्कि क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को वरिष्ठ पेशेवरों द्वारा मार्गदर्शन भी प्रदान किया जा सके। राष्ट्र गुणवत्ता निगरानीकर्ता की टिप्पणियों को राज्य सरकारों को कार्रवाई के लिए भेजा जाता है और की गई कार्रवाई रिपोर्ट की निगरानी एनएआरआईडीए द्वारा की जाती है।

(v) सभी स्वीकृत कार्यों के कार्यान्वयन , जिसमें उनका रखरखाव भी शामिल है , की निगरानी वास्तविक समय के आधार पर ऑनलाइन प्रबंधन, निगरानी और लेखा प्रणाली (ओएमएमएएस) नामक ऑनलाइन कार्यक्रम निगरानी सूचना प्रणाली के माध्यम से नियमित रूप से की जाती है।

(vi) इसके अतिरिक्त, मंत्रालय द्वारा क्षेत्रीय समीक्षा बैठकों (आरआरएम) , निष्पादन समीक्षा समिति (पीआरसी) बैठकों , राज्यों के साथ पूर्व-अधिकारप्राप्त/अधिकारप्राप्त समिति बैठकों के माध्यम से पीएमजीएसवाई सड़कों के रखरखाव की नियमित समीक्षा भी की जाती है। उपरोक्त के अलावा , ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव/अपर सचिव/संयुक्त सचिव द्वारा राज्यों के मुख्य सचिवों/प्रधान सचिवों के साथ विशेष समीक्षा बैठकें/मासिक समीक्षा बैठकें भी आयोजित की जाती हैं ताकि रखरखाव पहलुओं सहित योजना की प्रगति की समीक्षा की जा सके।

******

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 22.07.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 431 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

पीएमजीएसवाई के प्रारंभ से लेकर आज तक (दिनांक 11-7-2025) तक देश भर में ग्रामीण सड़कों के निर्माण और उन्नयन की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार स्थिति

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्वीकृत			निर्मित		
		नई संपर्कता	उन्नयन	कुल	नई संपर्कता	उन्नयन	कुल
		लंबाई (किमी)	लंबाई (किमी)	लंबाई (किमी)	लंबाई (किमी)	लंबाई (किमी)	लंबाई (किमी)
1	अंडमान और निकोबार	26.88	351.40	378.27	26.07	113.46	139.53
2	आंध्र प्रदेश	4,564.98	15,908.71	20,473.69	3,708.35	14,600.47	18,308.83
3	अरुणाचल प्रदेश	14,515.17	2,273.56	16,788.73	12,933.51	1,254.52	14,188.02
4	असम	26,902.58	6,008.92	32,911.50	26,734.29	5,297.28	32,031.58
5	बिहार	49,220.41	16,394.46	65,614.87	47,249.72	14,804.92	62,054.64
6	छत्तीसगढ़	32,652.53	15,536.06	48,188.58	28,928.09	14,342.00	43,270.09
7	गोवा	1.02	217.45	218.47	0.00	155.33	155.33
8	गुजरात	5,312.20	10,380.92	15,693.11	5,244.38	10,175.75	15,420.14

9	हरियाणा	2.00	8,108.67	8,110.67	2.00	8,040.49	8,042.49
10	हिमाचल प्रदेश	14,902.99	10,064.77	24,967.76	14,532.16	7,810.40	22,342.56
11	जम्मू एवं कश्मीर	17,498.81	5,083.96	22,582.77	15,047.14	4,656.50	19,703.64
12	झारखंड	23,523.06	11,111.05	34,634.11	22,037.17	9,626.68	31,663.85
13	कर्नाटक	656.78	23,611.01	24,267.78	591.95	23,372.59	23,964.53
14	केरल	703.03	4,609.30	5,312.33	681.01	3,854.78	4,535.79
15	लद्दाख	660.50	998.58	1,659.07	567.48	541.63	1,109.11
16	मध्य प्रदेश	57,474.38	37,966.14	95,440.52	53,903.87	36,200.31	90,104.18
17	महाराष्ट्र	4,451.08	30,025.08	34,476.16	4,246.40	27,588.32	31,834.72
18	मणिपुर	9,736.10	2,720.05	12,456.15	8,948.91	1,945.92	10,894.83
19	मेघालय	3,059.13	2,919.42	5,978.55	3,001.55	1,964.18	4,965.72
20	मिजोरम	4,179.37	755.25	4,934.63	4,156.17	482.23	4,638.40
21	नागालैंड	3,129.94	1,797.23	4,927.17	3,087.80	1,234.61	4,322.41
22	ओडिशा	46,060.08	28,664.79	74,724.87	43,950.36	27,240.36	71,190.72
23	पुदुचेरी	0.00	174.13	174.13	0.00	62.36	62.36
24	पंजाब	833.25	10,811.39	11,644.64	833.25	9,580.97	10,414.22
25	राजस्थान	50,131.55	28,135.72	78,267.27	48,460.93	27,298.15	75,759.08
26	सिक्किम	3,418.51	1,801.61	5,220.12	3,255.91	1,552.71	4,808.62
27	तमिलनाडु	3,701.11	22,935.91	26,637.02	3,666.81	21,688.67	25,355.48
28	तेलंगाना	3,079.11	11,570.64	14,649.75	2,782.26	10,035.36	12,817.62
29	त्रिपुरा	3,925.38	2,293.46	6,218.85	3,491.24	1,548.99	5,040.23
30	उत्तर प्रदेश	21,324.03	56,101.12	77,425.15	20,880.46	54,444.41	75,324.88
31	उत्तराखंड	18,552.67	4,043.40	22,596.07	18,175.61	3,061.14	21,236.75
32	पश्चिम बंगाल	23,323.64	17,714.94	41,038.58	23,101.45	14,143.46	37,244.91
	कुल योग	**447,522.23**	**391,089.11**	**838,611.34**	**424,226.31**	**358,718.93**	**782,945.24**